FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी खाजूवाला मुकाम खाजूवाला

हरजीत सिंह बनाम प्रेम सिंह वगै.

किस्म मुकदमा :—प्रा.पत्र बाबत रकबा राज मु.नं. एवं सन 74/14 व 2014/00096

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस तामील में जारी हुए
06.12.19	पत्रावली पे ा हुई। प्रार्थी हरजीत सिंह पुत्र हरनेक सिंह जाति रायसिख साकिन 6 पी तहसील अनूपगढ द्वारा श्रीमान जिला कलक्टर महोदय बीकानेर को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय पत्रांक 1602 दिनांक 21.03.14 द्वारा प्राप्त होने पर पत्रावली दर्ज की गइ। प्रार्थी के अनुसार पत्र में वर्णित भूमि हरिजन को आवंटन थी जो अप्रार्थीगण नानकसिंह, गुरनाम सिंह व हरनाम सिंह पुत्रगण बाकरसिंह निवासी खानूवाली द्वारा कूटरचित दस्तावेजो से बैयनामा अपने ससुर के नाम करवाना बताया गया। तहसीलदार खाजूवाला द्वारा रिकार्ड व मौका रिपोर्ट हेतु लिखा गया रिपोर्ट तहसीलदार अनुसार चक 9 केवाईडी ए के मु.न. 156/52 के कि.न. 4,6,7,14 ता 17,24,25 कुल 9 बीघा कमाण्ड कि.न. 5 अ.क. कुल 10.00 बीघा व चक 9 केवाईडी बी के मु.न. 155/28 के कि.न. 12 ता 14, 17 ता 25 कुल 12 बीघा वर्तमान रिकार्ड में प्रेमसिंह पुत्र नारायण सिह जाति बावरी निवासी 15 जीबी तहसील विजयनगर खातेदार अंकित है। मौके पर उक्त भूमि पर गुरनाम सिंह, नानक सिंह, हरनाम सिंह पिसरान बाकरसिंह, जाति रायसिख का का त होना पाया गया तथा ढाणी बनाकर निवास कर रहे है उन्होने अवगत कराया कि भूमि रिकार्ड में प्रेमसिंह पुत्र नारायण सिंह बावरी के नाम है हमने भूमि खरीद की है। वर्तमान में प्रेमसिंह का फौत होना बताया है जिसके वारिसान में पत्नि वीरकौर पुत्र नरसा व जगेन्द्र पिसरान प्रेमसिंह होना बताया गया है। पत्रावली में प्रेमसिंह के वारिसान व अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया। नोटिस उपरान्त उभयपक्ष उपस्थित नहीं आये। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज व तहसीलदार खाजूवाला की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। रिपोर्ट अनुसार उक्त प्रकरण	

	राजस्थान का तकारी अधिनियम की धारा 183 बी के अन्तर्गत बनता है अतः उक्त प्रकरण तहसीलदार खाजूवाला को भेजकर निर्दे ित किया जाता है कि इस प्रकरण में नियमानुसार राजस्थान का तकारी अधिनियम की धारा 183 बी के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर की गई कार्यवाही से इस न्यायालय को अवगत करावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार खाजूवाला को प्रेषित की जावे। पत्रावली फै ाल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।	